न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री वगता पुत्र भगाजी, जाति- घांची, निवासी- सिरोही, तहसील व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 21/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री धीमान खत्री, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 19 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 66/2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.2019 बाबत ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 2313/297 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म बंजर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। यह कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है, बल्कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अपने पिता के समय से 50-60 वर्ष पुराना कब्जा है एवं मौके पर अपीलार्थी बिना किसी रुकावट के निरन्तर काश्त करता आ रहा है। मौके पर अपीलार्थी का कुआं एवं बोरिंग भी स्थित है। उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। हल्का पटवारी ने मौके की सही रुप से जांच किये बिना ही गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार पर मानकर अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने व जुर्माना आरोतिप करने की आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने

....पेज दो पर

बहस के दौरान यह व्यक्त किया हल्का पटवारी, सिरोही-प्रथम द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिरोही-I द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 2313/297 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म बंजर भूमि पर अतिकमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये, लेकिन बचाव में कोई जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:40:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: